बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना।

आवश्यक सूचना

(विज्ञापन सं०-03/2023, 02/2024 तथा 03/2024 से संबंधित)

Civil Appeal No-18802/2017, Dr. Bhim Rao Ambedkar Vichar Manch Bihar Vrs. State of Bihar में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्र संख्या-11/आ०-न्याया-73/2024-12679/सा०प्र०, दिनांक-12.08.2024 द्वारा प्रकाशित बिहार गजट में तांती (ततवा) जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-33 पर पुनर्स्थापित किया गया है।

विज्ञापन संख्या-03/2023 (सुरक्षा प्रहरी), 02/2024 (सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा इंट्री ऑपरेटर एवं आशुलिपिक) तथा 03/2024 (रात्रि प्रहरी, दरबान एवं सफाईकर्मी) के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन करने वाले तांती (ततवा) जाति से संबंधित सभी उम्मीदवारों, जिन्होंने अपने ऑनलाईन आवेदन में अनूसूचित जाति (02) कोटि के आधार पर पान/स्वासी जाति का दावा किया है, को सूचित किया जाता है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड से लॉग-इन करते हुए दिनांक-18.09.2024 से 27.09.2024 तक अपनी जाति अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (04) कोटि के तहत तांती (ततवा) अवश्य सुधार करते हुए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें।

यदि दिनांक-18.09.2024 से 27.09.2024 तक आरक्षण कोटि में सुधार / क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो वैसे उम्मीदवारों के आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के अभ्यर्थित्व पर परिषद् सचिवालय निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

13.9.24

(आफताब हबीब)
निदेशक,
बिहार विधान परिषद्।